

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 64]	नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 30, 2019/माघ 10, 1940
No. 64]	NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 30, 2019/MAGHA 10, 1940

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जनवरी, 2019

सा.का.नि. 76(अ).—केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की उप-धारा 295 के साथ पठित धारा 133ग द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आयकर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आयकर (15 वां संशोधन) नियम, 2019 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. आयकर नियम, 1962 में, नियम 12घ के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखे जाएंगे, अर्थात् :—

"धारा 133ग के अधीन विहित आयकर प्राधिकारी।

12घ. धारा 133ग के अधीन विहित आयकर प्राधिकारी सहायक आयकर आयुक्त से अनिम्न पंक्ति का एक ऐसा आयकर अधिकारी होगा, जिसे इस धारा के प्रयोजनों के लिए ऐसे प्राधिकारी के रूप में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा प्राधिकृत किया गया है।"

[अधिसूचना सं. 4/2019/फा. सं. 370142/22/2017-टीपीएल]

सलिल मिश्रा, निदेशक (कर नीति और विधान)

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 969(अ) तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना सं. सा.का.नि. 1217(अ), तारीख 18 दिसंबर, 2018 द्वारा अंतिम संशोधन किए गए थे।